शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 32/जी0आई0-106/बावन-1-2014-01(142)/13

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 24 जून,2014**

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचि , अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 22.09.2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 75वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(38)/2013-पी0पी0, दिनांक 30.09.2013 से जनपद सुल्तानपुर के आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कुल अनुमोदित लागत ₹0 441.00 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 330.75 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश ₹0 1,65,38,000/-(रू0 एक करोड़ पैंसठ □□ □□□□ □□□ मात्र) □□ □□□ सापेक्ष बनने वाला राज्य श ₹0 55,12,500/-(रू0 पचपन लाख बारह हजार पाँच सौ ः) अर्थात् कुल रू0 2,20,50,500/-(रू0 दो करोड़ बीस लाख पचास हजार पाँच सौ ः) □□ वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रस्तावित बजट ₹0 4000.00 लाख के सापेक्ष पारि□ 04 □□ □□ लेखानुदान में से रू0 220.505 □□ अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय□ करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विकास खण्ड-कुरवर										(रू0 लाख में)
क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□ □□□	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त □□□ □□□□□ (□□0+□□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सुल्तान□□□	आंगनवाड़ी केन्द्रों □□ निर्माण	38	4.50	128.25	42.75	171.00	64.13	21.375	85.505
विकास खण्ड-□□□□										
,,	,,	□□□	60	4.50	202.50	67.50	270.00	101.25	33.75	135.00
		□□□	**98**	**9.00**	**330.75**	**110.25**	**441.00**	**165.38**	**55.125**	**220.505**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृ□□□, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन य अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त क□□□ ही व्यय कि □□□□□ □□□□शि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। धनराशि निर्गत होने के एक माह के पश्चात् प्रथम किश्त □□□□□□□□□अधोमानक निर्माण कार्य के निराकरण होने तथा कार्य गुणवत्तापूर्ण होने की पुष्टि कर □□ □□□□□

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय यो□□□ में अनुमोदित कार्य-मदों पर □□□□ के मार्ग-निर्देशों तथा समय-स□□ पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की □□□□ लाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा।

3- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□** □□□□ □□□ □वमुक्त □□□□□ □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा □□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□** □□ हस्तान्तरित जायेगी। कार्य को अवमुक्त □□□□□ □□03 माह में पूरा कर □□□ जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त □नराशि नहीं दी □□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□□□□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□** के मध्य □□ □□□ □□ □□0□0□0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- धनराशि योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वार□ □□□-2 पर जारी दिशा- निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक□□□□□ आहरित क नियमानुसार व्यय की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर प्रश्नगत आंगनवाड़ी योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/□□□□-1-2009-1(1)/2009, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मात्रात्मक □□□ गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

8- आहरित धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य □□ □□ धनराशि का आहरण न किया गया हो।

9- अवमुक्त □□□□□ को व्यय किये जाने के उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण-कार्यों के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां जनपद अधिकारियों द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध □□□□□ जायेंगे।

10- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के लिये निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा एक अलग से मेन्टेन किया □□□□□

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनाया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय-स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

12- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि □□ □□□ आवश्यक धन की व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□-व्ययक एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो □□□

http://shasanadesh.up.nic.in

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □ □- व्यय□ के अनुदान संख्या-48 □□**लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण□ □□ □□ि□□ परिव्यय -02-समाज कल्याण□-800-अन्य व्यय -01-केन्द्रीय □ □ि□□ि□□/केन्द्र ि □□ि□धानित योजनायें-01□04-अल्पसंख्यक□ बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान□ के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थ□□ (केन्द्रांश 100/□□0-□□0)-24 वृहद निर्माण कार्य"** के नामें □ि□□ □ि□□□□

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी र ख्या-□-11-717/□□-2014, दिनांक 18-06-2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □ि□□□

संख्या (1)/□ि□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□ि□□ि□ि□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□ि□ि□ि□□

2- □□ि□□ि□ि□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□ि□ि□ि□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □ि□□□

4- □□□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरका 11□ि□ □□, पर्यावरण भवन, □ि0□ि0□ 0 काम्पलेक्स □ि□□ि □ि□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण□, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आंगनवाड़ी केन्द्रों □□ निर्माण हेतु स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध □□ि□□ि□□ सम्बन्धित को अपने स्त र से निर्देशित करने के साथ ही प्रश्नगत केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- □□□□□, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहा□, □0प्र0 □□□□□

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुल्ता□□□ □ि □□ आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी के के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- □□□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,** □□□□ □ि इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची प्राप्त कर गुणवत्तायुक्त निर्माण

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, □□□□□□□, अल्पसंख्यक□ □ल्याण, □0प्र0 □□□□ □□ इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण □□□ वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्य □ □□□ □□ □□ □□0मंत्री जी वे अवलोकनार्थ।

12- □□□□ □□□□, प्रमुख □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□□ □□□□□ के अवगतार्थ।

13- वित्त (□ □-व्यय□) □□0□-1 □□ 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11□

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in